

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी-रामरतन सौकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 112/19
(आरसीएमएस संख्या 2019/00173)

निर्णय दिनांक: 21.11.2019

1. मोहम्मद सकील पुत्र अल्लादीन जाति तेली निवासी नया कुँआ तहसील व जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-01-2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत



उपस्थिति:-
श्री प्राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 30-01-2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा बतौर भूमिहीन उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जाँच के उपरान्त भूमिहीन के बतौर भूमि आवंटन का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 16 जीएमआर के मुरब्बा नम्बर 19/64 में किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमण्ड भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन की पुष्टि के उपरान्त आवंटन पट्टा भी को जारी कर दिया गया। जिसका अपीलांट को कब्जा नहीं मिला क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में ही इन्द्रसिंह पुत्र खेम सिंह, इन्द्रकंवर पत्नि इन्द्रसिंह को दिनांक 27-11-2002 को आवंटित होकर रिकार्ड में


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर


दर्जशुदा भूमि है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आबादी हेतु आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।



मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बारम्बार उपस्थित होकर वादगत् भूमि पर कब्जा दिये जाने या उसकी एवज में अन्य भूमि आवंटन करने का कथन किया जाता रहा है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया ना ही अन्य भूमि का आवंटन किया गया है ऐसी स्थिति में ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट को दिनांक 30-01-2003 को वादगत् भूमि का आवंटन किया गया था। जिसके विरुद्ध अपील दिनांक 08-07-2019 को प्रस्तुत की गई है। जो मियांद बाहर अपील है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-01-2003 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 08-07-2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके


राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।


(2) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर उपनिवेशन तहसील कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तमाम जॉच के उपरान्त आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट को चक 16 जीएमआर के मुरब्बा नम्बर 19/64 में 10 बीघा कमाण्ड व 15 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन दिनांक 30-01-2003 को अपीलांट के पक्ष में किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न दोहरा आवंटन प्रपत्र के अनुसार अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व में ही अन्य व्यक्ति इन्द्रसिंह पुत्र खेम सिंह, इन्द्रकंवर पत्नि इन्द्रसिंह को दिनांक 27-11-2002 को आवंटित होकर रिकार्ड में दर्जशुदा भूमि थी। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का कब्जा अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सका।

(3) जहाँ तक अपीलांट को आराजी जैर के आवंटन का संबंध है, अपीलांट को आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही आवंटन किया गया था। अदालत मातहत द्वारा आवंटन से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया गया ना ही जॉच नहीं की गई, कि आवंटन दिनांक को उक्त आराजी जैर शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध थी अथवा नहीं? अदालत मातहत का उक्त कृत्य धोर लापरवाही का द्योतक है। अदालत मातहत द्वारा की गई सूक अथवा लापरवाही का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता।

(4) अदालत मातहत को तत्समय ही अपीलांट के आवंटन की पुष्टि करते हुए अपीलांट को आराजी जैर का कब्जा सुपुर्द करते हुए रिकार्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना अपीलांट को अन्य को आवंटित भूमि का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत की इस प्रकार की कार्यवाही किसी प्रकार से युक्तियुक्त/न्यायसंगत कार्यवाही नहीं कही जा सकती। अदालत मातहत व उसके अधीन कार्यरत कर्मचारी/पटवारी की उदासिनता या लापरवाही का दण्ड अपीलांट को नहीं दिया जा सकता।

(5) प्रकरण में अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट का आवंटन खारिज करते हुए उसे अन्यत्र भूमि प्रदान की जानी चाहिए थी। अदालत मातहत द्वारा न तो अपीलांट का आवंटन खारिज किया गया व न ही अपीलांट को अन्यत्र भूमि प्रदान की गई है। अदालत मातहत द्वारा ऐसा नहीं किये जाने के फलस्वरूप ही अपीलांट को उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ी है। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। अपीलांट आवंटन के 12 वर्ष उपरान्त




सहायक अपील अधिकारी
बीकानेर


भी कब्जा अथवा अन्य भूमि का आवंटन नहीं करना अपीलांत के साथ अन्याय है।

(6) चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को ऐसी भूमि का आवंटन किया गया है, जो अपीलांत के आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति को आवंटित व उनके कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण अपीलांत भूमिहीन श्रेणी की विवादरहित भूमि अन्यत्र प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-01-2003 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत की पात्रता की जांच करते हुए समान श्रेणी की भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।



निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजस्व अपीलांत अधिकारी)
राजस्व अपीलांत अधिकारी
बीकानेर

